अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियों और लेखाओं को भी कम्पनी नियमावली, 2014 में अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:

- व्यवसायिक आचरण के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं (कंपनी निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 149(6) एवं (8) और अनुसूची IV} को पढ़ा जाये ।
- सूचीबद्ध कम्पनियों के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {धारा (1)149}।
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177 (1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से आयोजित करना कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा {धारा 173(1)}।

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 2 सितम्बर 2015 पुराने प्रावधानों को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015, जो 1 दिसम्बर 2015 से लागू हुई, को अधिसूचित किया गया ।

सेबी ने 13 अक्टूबर 2015 को सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकीकृत सूचीबद्ध करार प्रपत्र जारी किया जिसके द्वारा सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक था। ये विनियम 22 दिसम्बर 2015, 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017, 15 फरवरी 2017, 13 अप्रैल 2017, 09 मई 2018, 30 मई 2018, 01 जून 2018, 8 जून 2018, 06 सितम्बर 2018, 16 नवम्बर 2018 और 29 मार्च 2019 को संशोधित किए गए।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग)डीपीई (ने निदेशक मंडल में गैर अधिकारिक निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुन : दिशानिर्देश जारी किए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों)सीपीएसई (के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए संघ सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, मई 2010में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुन :जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसई के लिए लागू किए गए हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक मंडल के संयोजन, मंडल समितियों के संयोजन एवं कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति, परिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टो औरा कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं । इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशानिदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसई के एमओयू में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसई का संबंध है, वहॉ उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों का अनुपालन करना अपेक्षित हैं।

3.1.4 चयनित सीपीएसई द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2019 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 596 सीपीएसई थे। सीपीएसई को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत, सीपीएसई से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को बढ़ाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी (अप्रैल और सितम्बर 2014), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 और निगमित अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों (मई 2010) तथा विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा अनुपालन के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी। इन प्रावधानों के वर्ष 2018-19 के दौरान अनुपालन को निर्धारण रूपरेखा में दर्शाया गया था। समीक्षा में 53 सूचीबद्ध सीपीएसई तथा दो सीपीएसई, जिनके बाण्ड 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों प्रशासनिक के नियंत्रणाधीन सूचीबद्ध है, को शामिल किया गया है। सीपीएसई की सूची ***परिशिष्ट-XXII*** में दी गई है।

3.2 निदेशक मंडल का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हैं। सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(ए)(1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(1)(ए) में अनुबंधित है कि कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 *प्रतिशत* से कम नहीं होने चाहिए।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड में गैर कार्यकारी निदेशक (तीन) कुल बोर्ड सदस्य (सात) के 50 *प्रतिशत* से कम थे।

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

प्रबन्धन के निर्णयों पर स्वतन्त्र विचार देने में समर्थ बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य पणधारकों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II)(ए)(2),सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार जहां बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्रकारी निदेशक है, वहां कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए

और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। खण्ड 49(II)(बी)(1)के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामित निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक मंडल के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी:

तालिका :3.1सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा निदेशकों की सं.	अध्यक्ष की प्रास्थिति	स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या
1	एनएमडीसी लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	6
2	केआईओसीएल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3
3	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	-
4	एचएमटी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2
5	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	5
6	फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
8	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	9	कार्यकारी	9	7
9	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
10	बीईएमएल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
11	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	6
12	आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
13	ऑयल इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
14	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4
15	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4
16	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	1
17	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	6
18	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3
19	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4
20	एमएमटीसी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	6
21	भारत पर्यटन विकास निगम	5	कार्यकारी	5	4
22	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	10	7
23	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	7
24	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
25	पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5

26	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	5
27	एनएचपीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
28	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2
29	एसजेवीएन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	5
30	एमओआईएल लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4

सीपीएसई) आईएफसीआई लिमिटेड तथा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1), कंम्पनी (निदेशक की नियुक्ति तथा योग्यता) नियमावली, 2014 के अध्याय XI का नियम **3** तथा सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम **17(1)(**ए) निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। तथापि दो कंपनियों (बीईएमएल लिमिटेड तथा एमएमटीसी लिमिटेड) के संबंध में यह आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई।

3.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति

3.3.1 स्थिति की घोषणा

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली, 2015 के विनियम 25(8)के साथ पठित विनियम 16(1)(बी) प्रावधान करता है कि स्वतंत्र निदेशक यह घोषणा करेगा कि वह स्वतंत्र निदेशक की स्थिति को पूरा करता है। तथापि, तीन सीपीएसई (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्र स्थिति की घोषणा नहीं की गई थी।

3.3.2 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.2.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा-(III)(1)स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य) और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(ख)(7)(क)और(ख)और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 25(7) में प्रावधान है कि कम्पनी प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी, कंपनी में उनकी भूमिकाएं, अधिकार, उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है, कंपनी के व्यापार मॉडल इत्यादि विषयों से अवगत करायेगी। तथापि, यह पाया गया कि तीन (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा भारत

इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड) सीपीएसई में उन स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड में थे।

3.3.2.2 इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015, के विनियमन 46(2)(i) और अनुसूची V(सी)(2)(जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उद्घोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उनका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.2: सीपीएसई, जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
5	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.3.3 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3)में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.3 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.3: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने बोर्ड/समिति की कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की 80 *प्रतिशत* बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	3	1
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	-	1
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	-
4	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1	-
5	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2	-
6	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1	1
7	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4	-
8	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1	2
9	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	1	2

10	बीईएमएल लिमिटेड	1	-
11	राइट्स लिमिटेड	2	1
12	इरकॉन लिमिटेड	1	1
13	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5	-
14	आईटीआई लिमिटेड	3	-
15	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1	-
16	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2	3
17	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	-	1
18	एंड्रयू यूले कंपनी लिमिटेड	1	1
19	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	1
20	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	1
21	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	1	1
22	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	-
23	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	-
24	एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड	4	-
25	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2	-
26	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	4	-
27	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	-
28	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4	2
29	एनटीपीसी लिमिटेड	1	-
30	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6	-
31	एसजेवीएन लिमिटेड	1	-
32	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	1	1
33	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2	2

3.3.4 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV)III(5)(में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना होगा। तालिका 3.4 में ऐसे सीपीएसई सूचीबद्ध हैं, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.4: स्वतंत्र निदेशक, जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने सामान्य बैठक में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	1
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3
3	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1
4	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1

6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3
7	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1
8	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	4
9	बीईएमएल लिमिटेड	2
10	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
11	राइट्स लिमिटेड	1
12	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	1
13	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2
14	आईटीआई लिमिटेड	7
15	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2
16	कोल इंडिया लिमिटेड	1
17	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1
18	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1
19	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	2
20	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4
21	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	1
22	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2
23	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1
24	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1
25	इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड	1
26	एनटीपीसी लिमिटेड	1
27	भेल लिमिटेड	1
28	एनएचपीसी लिमिटेड	2
29	आरईसी लिमिटेड	1
30	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	2
31	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	3
32	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2
33	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	1
34	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	1

3.3.5 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.5.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(1),सूचीगत करार के विनियम 49 II बी (6) (ए)और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(3) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना बैठक करेंगे। तालिका 3.5 ऐसे सीपीएसई दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.5 : सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	एचएमटी लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
6	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.3.5.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(2)में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी पृथक बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। तथापि, तालिका 3.6 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
7	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	राइट्स लिमिटेड
9	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
10	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
11	आईटीआई लिमिटेड
12	कोल इंडिया लिमिटेड
13	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15	एनएचपीसी लिमिटेड
16	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
17	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
18	गेल इंडिया लिमिटेड
19	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
20	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3.4. निदेशक के पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर-कार्यकारी या स्वतंत्र

3.4.1 निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती, कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा VI(2)(स्वतंत्र निदेशकों के पंजीकरण या हटाना), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II) (डी)(4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 25(6) में प्रावधान है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग-पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। कार्मिक, शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय/डीओपीटी द्वारा सीपीएसई में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के संग्रह के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या में समय पर नियुक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। यह देखा गया कि स्वतंत्र निदेशकों के पद सीपीएसई के संबंध में काफी समयावधि तक रिक्त रहे जिनके विवरण तालिका 3.7 में दिए गए है।

तालिका 3.7: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महीनों में खाली रहना
1	एनएमडीसी लिमिटेड	9
2	केआईओसीएल लिमिटेड	32
3	एचएमटी लिमिटेड	36
4	ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12
5	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	36
6	फर्टिलाइजर्स एंड त्रावणकोर लिमिटेड	12
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	16
8	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	12
9	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	12
10	बीईएमएल लिमिटेड	36
11	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12
12	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	12
13	ऑयल इंडिया लिमिटेड	18
14	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	36
15	बामर लॉरी कंपनी लिमिटेड	36
16	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	24
17	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	36
18	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24

19	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	04
20	एमएमटीसी लिमिटेड	24
21	भारतीय पर्यटन विकास निगम	08
22	इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन	12
23	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	24
24	पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड	24
25	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	12
26	एनएचपीसी लिमिटेड	04
27	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	36
28	एसजेवीएन लिमिटेड	36
29	एमओआईएल लिमिटेड	24

3.4.2 इसके अतिरिक्त,यह भी पाया गया कि चार सीपीएसई (मैंगलोर रिफएन्री एंड ऐग्रो केमिकल्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड) में पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थी।

3.5 लेखापरीक्षा समिति

3.5.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के विनियमन 18 में प्रावधान है कि सदस्य रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य के स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त दो सीपीएसई) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.5.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की एजीएम में उपस्थिति

सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(ए)(3) और (4) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 18(1)(डी)में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा तथा शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उपस्थिति रहेगा। तालिका 3.8 में दर्शाई गई निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एजीएम में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.8: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक सामान्य बैठक में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	कोल इंडिया लिमिटेड

3.5.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 18(2)(ए)और (बी) और खंड 49(III)(बी) प्रावधान करता है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा समिति के कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या या तो दो सदस्य या एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित होने चाहिए। महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के संबंध में न्यूनतम चार बैठके आयोजित नहीं की गई और लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर था।

चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों में पर्याप्त कोरम नहीं था।

3.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सूचीबद्ध करार खण्ड 49(III)(डी)(11)तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तथापि दो सीपीएसई (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने इन प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

3.5.5 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए)(12) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक

लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.9 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

तालिका 3.9: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई

क्र .सं .	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
4.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
5.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.5.6 लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता की निगरानी

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची II भाग - सी, खण्ड (7) में प्रावधान किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभाविकता की समीक्षा और निगरानी करेगी। तालिका 3.10 में दर्शाई गई सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई थी

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
4.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
5.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.5.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

3.5.7.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (13) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्ष अधिकारियों की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग सरंचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा निरंतरता को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। तथापि चार सीपीएसई (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यो की समीक्षा नहीं की।

3.5.7.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। तथापि तीन सीपीएसई (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ काई चर्चा नहीं की थी।

3.5.7.3 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा

सांविधिक अधिदेश के अनुसार, सभी सीपीएसई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iii) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, सीपीएसई के मामले में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए प्रबंधन के पत्रों सहित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का उत्तरदायित्व है। तालिका 3.11 में दर्शाई गई निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों और प्रबंधन के पत्रों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.11: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों और प्रबंधन के पत्रों की समीक्षा नहीं की गई थी

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
2	बीईएमएल लिमिटेड
3.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 और अनुसूची II के भाग(सी)ए(19) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि के निर्धारण के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन शामिल होगा। तथापि, चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना की गई थी।

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमावली 2015 की अनुसूची II के विनियम 18 (3) तथा भाग सी(बी)में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति निम्न सूचना की अनिवार्य रूप से समीक्षा करेगी (i) प्रबंधन विचार-विमर्श और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों के विश्लेषण, (ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) के विवरण (iii) प्रबंधन के पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियों के पत्रों और (iv) आंतरिक नियंत्रक की कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों का विवरण लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगे। लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.12 में दर्शाई गई निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में उपरोक्त मदों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.12: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति ने में से एक या अधिक अनुबंधों की समीक्षा नहीं की

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड

3.5.7.4 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(16)तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के भाग सी (ए)(16)में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। तालिका 3.13 में दर्शाई गई निम्न सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की।

तालिका 3.13: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षको के साथ चर्चा नहीं की और पश्च लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा	पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
1	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	--	नहीं की गई
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	--	नहीं की गई
4	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	--	नहीं की गई
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
6	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
8	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	--
9	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	नहीं की गई	--
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	नहीं की गई	--
11	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं की गई	--
12	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
13	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	नहीं की गई	--
14	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	--
15	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	नहीं की गई	--
16	आरईसी लिमिटेड	नहीं की गई	--
17	एमओआईएल लिमिटेड	--	नहीं की गई
18	स्टील आथेरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	-

3.6 अन्य समितियां

3.6.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1), कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 6, सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 19(1) तथा (2) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी जिसमें सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे तथा कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तीन सीपीएसई (एचएमटी लिमिटेड, भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड) में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी।

3.6.2 आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में यद्यपि समिति का गठन किया गया था परन्तु तीन निदेशक और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई थी।

3.6.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (7), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(iv) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 19(2)और(3) में प्रावधान है कि समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा तथा एजीएम में उपस्थित रहेगा। तालिका 3.14 में दर्शाई गई निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.14: नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित नहीं थे

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड
3	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
4	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5	बीईएमएल लिमिटेड
6	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
7	आईटीआई लिमिटेड
8	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
9	ऑयल इंडिया लिमिटेड
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
11	गेल इंडिया लिमिटेड
12	आरईसी लिमिटेड
13	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

3.6.4 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 19(3ए)में भी प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। तथापि दो सीपीएसई (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था।

3.6.5 पणधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5),सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 20(1)में अपेक्षित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक संबंध समिति का गठन करेगी। समिति का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक होगा। तथापि, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड में अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक नहीं था।

3.6.6 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 20(2ए) में प्रावधान है कि समिति मे कम से कम तीन निदेशक होने चाहिए जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

3.6.7 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के विनियम 20(3)में प्रावधान है कि समिति का अध्यक्ष पणधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेगा। तथापि तालिका 3.15 में दर्शायी गयी निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं था।

तालिका 3.15: सीपीएसई जिनमें पणधारक संबंध समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं था

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
2	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
4	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5	बीईएमएल लिमिटेड
6	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	एमएमटीसी लिमिटेड
8	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
9	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
10	आईटीआई लिमिटेड
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
12	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

3.6.8 विनियमावली की अनुसूची V(सी)(6)में यथापेक्षित पणधारकों द्वारा दायर की गई शिकायतें इन सीपीएसई में 31 मार्च 2019 तक लंबित थी जैसा कि तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: सीपीएसई जिनमें पणधारकों द्वारा दायर की गई शिकायतें लंबित हैं

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम	लंबित शिकायतों की संख्या
1	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	5
2	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	16
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	7
4	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2
5	एनएचपीसी लिमिटेड	2
6	आरईसी लिमिटेड	2
7	एमओआईएल लिमिटेड	1
8	एमएमटीसी लिमिटेड	2
9	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2

3.6.9 चेतावनी तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9)कंपनी(बोर्ड की बैठके एवं इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 7,संशोधित खण्ड 49(II)(एफ), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(3) तथा भाग सी(ए) प्रावधान करते हैं कि लेखापरीक्षा समिति चेतावनी तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई में चेतावनी तंत्र के कार्यों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.17: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र की कार्यप्रणाली समीक्षा नहीं की

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	कोल इंडिया लिमिटेड
7	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

3.6.10 सम्बन्धित पक्षों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा,ऐसे महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारकों द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। तथापि तीन सीपीएसई (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई थी।

विनियम 23(2) में अपेक्षित है कि सभी संबंधित पार्टी संव्यवहारों हेतु लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा। तथापि, भारत इलेक्ट्रोनिकक्स लिमिटेड के संबंध में इसका पालन नहीं किया गया था।

3.6.11 वेबसाईट पर सूचना का प्रकटन

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(सी)में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों का संयोजन प्रस्तुत करेगी। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.6.12 अनुपालन रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27(2)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनों के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बामर लारी लिमिटेड के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

3.7 निष्कर्ष

अध्याय मे शामिल 55 सूचीबद्ध सीपीएसई में से एक सीपीएसई में 50 *प्रतिशत* से कम गैर-कार्यकारी निदेशक थे; दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किये गये थे और 30 सीपीएसई में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए गए थे; 2 सीपीएसई में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई थी; 3 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। 31 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड की 80 *प्रतिशत* बैठकों में भाग नहीं लिया; 16 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशको ने बोर्ड की

80 *प्रतिशत* समिति की बैठकों में शामिल नहीं हुए। 34 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया। छः सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए अलग बैठक आयोजित नहीं की गई थी और 20 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने ऐसी बैठकों में भाग नहीं लिया। 29 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद उनके रिक्त होने की तारीख से 4-36 महीने से अधिक के विलम्ब के साथ भरे गए जबकि चार सीपीएसई में कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पद 10-30 महीने से अधिक विलम्ब के साथ भरे गए। दो सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; दो सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया। चार सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गयी। सात सीपीएसईस में लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र के कार्यचालन की समीक्षा नहीं की और तीन सीपीएसई में सम्बन्धित पार्टी संव्यवहारों की मूर्तता से सम्बन्धित कोई नीति नहीं थी। पांच सीपीएसई के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक सामान्य बैठक में भाग नहीं लिया। 14 सीपीएसई के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा समिति ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ (लेखापरीक्षा पूर्व) चर्चाएं नहीं की। तीन सीपीएसई में कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी। 13 सीपीएसई के सम्बन्ध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक मे उपस्थित नहीं थे। 12 सीपीएसई के सम्बन्ध में पणधारक सम्बन्ध समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे। किसी भी सीपीएसई ने कारपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया।

सार्वजनिक उद्यमो के विभाग (डीपीई) ने कहा है (जून 2020) कि सीपीएसई द्वारा संबंधित कानूनो, विनियमों, दिशा-निर्देशो इत्यादि के कार्यान्वयन की निरीक्षण/निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयो/विभागो में निहित है।

3.8 सिफारिशें

भारत सरकार डी पी ई/सेबी दिशानिर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर जोर दे सकता है ताकि सूचीबद्ध सीपीएसई में कारपोरेट अभिशासन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके । सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक बोर्ड को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डी पी ई/सेबी दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों का पालन किया जा रहा है ।